

67

संख्या ई.डी.एल-सी-वी(2)-1/99-लूज  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

प्रेषक

प्रधान सचिव (प्रारंभिक शिक्षा)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा  
हिमाचल प्रदेश शिमला 171001.
2. निदेशक (उच्चतर शिक्षा),  
हिमाचल प्रदेश शिमला 171001

दिनांक: शिमला-2, 22 मार्च, 2010.

विषय:

ग्राम विद्या उपासक, प्राथमिक सहायक अध्यापक व  
पैरा अध्यापक को संशोधित मानदेय देने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्चतर/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कार्यरत ग्राम विद्या उपासक, प्राथमिक सहायक अध्यापक व पैरा अध्यापक को संशोधित वेतनमान देने का मामला सरकार के वित्ताधीन शा तथा सरकार ने वित्ताधीन दिनांक 01 दिसम्बर, 2009 से संशोधित वेतनमान निम्न प्रकार से इस शर्त पर देने का निर्णय लिया है कि वे मानकों में प्रावधानानुसार प्रति सप्ताह निर्धारित पीरियड (Period) पढ़ाएंगे तथा प्रवक्ता (स्कूल संवर्ग) स्नातक स्तर पर पढ़े हुये विषय आटवी, नौवी व दसवी कक्षाओं को भी पढ़ाएंगे, जिससे वे मानकों के अनुसार पीरियड पूरा कर सकें। यदि ये सभी मानकों के अनुसार पीरियड (Period) पूरा नहीं करते हैं तो उस मात्र उन्हें संशोधित वेतनमान/मानदेय नहीं दिया जायेगा:-

Category	Existing honorarium	Enhanced honorarium
Gram Vidya Upasak	Rs.6825/-pm	Rs.8910/-pm
GVU(EGS)	Rs.3500/-pm	No revision is justified as they are not appointed under any established policy of the govt. and

		they are to be utilized on an outsourcing basis for non-formal schools.
Primary Asstt. Teacher	Rs.4000/-pm	Rs.6000/-pm
Primary Asstt. Teacher (Untrained)	Rs.3500/-pm	Rs.4500/-pm
Para Teachers		
1. Lecturers (School Cadre)	Rs.9600/-pm	Rs.14500/-pm
2. TGT	Rs.8220/-pm	Rs.13900/-pm
3. DPE	Rs.8220/-pm	Rs.13900/-pm
4. PET	Rs.7500/-pm	Rs.13500/-pm
5. C&V	Rs.7500/-pm	Rs.13500/-pm

उपरोक्त मामले में आवश्यक कार्यवाई करने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को तुरन्त सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय,

अवर सचिव (प्रारंभिक शिक्षा)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठंकन संख्या यशोपारी दिनांक शिमला-2, 22 मार्च, 2010.  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हि०प्र० सरकार शिमला-2 को मन्त्री मण्डल की बैठक दिनांक 16.3.2010 की (मद संख्या:13) के संदर्भ में प्रेषित है।
2. अवर सचिव (वित्त) हि०प्र० सरकार, शिमला-2 को उनके पत्र सं० फिन(सी)वी(7)-7/2003-लूज दिनांक 3-3-2010 के संदर्भ में प्रेषित है।
3. संस्थान्धित सहायक शिक्षा सी अनुभाग जो पैरा अध्यापक के सम्बन्ध में पत्राचार करते हैं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रस्तुत है।

*Yashwanth*  
अवर सचिव (प्रारंभिक शिक्षा)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।